Rain, ravines and risk: The Himalayan monsoon's warning

HILL VIEW

GUEST COLUMN

KULBHUSHAN UPMANYU

DRENCHING hills in greenery and turning the earth into a thick carpet of grass, the monsoon can appear deceptively beautiful. Yet, for people living in the mountains, the rainy season has always been associated with danger—landslides, flashfloods, rockfalls and washed-away roads. The old tradition of *Chaturmas*, when saints and sages stayed at one place during the four months of the monsoon season and avoided travelling, reflected an understanding of these seasonal hazards.

Modern development and improved connectivity, however, have transformed the monsoon into a major travel season. Tourism, particularly for religious purposes, draws thousands of devotees to high-altitude shrines that become accessible after the snow melts. Pilgrimages that were once undertaken on foot by relatively small groups now attract huge crowds, putting additional pressure on fragile mountain ecosystems.

Climate change has made the situation more precarious. Rainfall is becoming increasingly intense and concentrated into short periods. When extremely heavy rain falls over a small area, particularly in narrow Himalayan valleys, the consequences can be devastating. Cloudbursts can rapidly saturate fragile slopes, trigger landslides and send torrents of water and debris into settlements downstream.

The increase in such incidents demands that development in the hills be examined more critically. Mining, road construction and hydropower projects often involve cutting slopes, tunnelling, blasting, operating heavy machinery and dumping debris. Deforestation associated with such activities further weakens the natural protection offered by forests.

Devastation caused due to a landslide triggered by heavy rain in the Boh area of Shahpur in Kangra district.

Boh tragedy points towards human-nature disconnect

It will be wrong to attribute every disaster to large development projects. The recent experience of Boh in Shahpur subdivision of Kangra district offers a more complex lesson. Boh's monsoon wounds point to a deeper human-nature disconnect.

Boh had suffered two major rain-related tragedies in five years. In 2021, a landslide in the forest above Boh Bazaar had trapped trees and debris in a ravine, eventually creating a temporary dam. During heavy rain, the accumulated water broke through and rushed towards the settlement, leading to loss of lives and extensive damage.

This year, Boh once again faced a similar disaster. Fortunately, as the incident occurred during the day and people remembered the lessons of 2021, many of them were able to flee to safety. Yet houses and cattle sheds suffered extensive damage.

An assessment of the incident points to factors beyond conventional construction-related interference. Forest fires had reportedly loosened the upper layer of soil and caused cracks in rocks. When rainwater entered these cracks, the weakened material began moving downhill. Drinking water pipelines passing above the village added to the danger. Their rupture released additional water, potentially multiplying the force and volume of the landslide.

Newer settlements more exposed to danger

There is another worrying pattern. The newer settlements appear to have borne the brunt of the damage, while older habitations have remained relatively safer. As people abandon traditional settlements and build houses in areas closer to rivers, streams and unstable slopes, they are unknowingly increasing their exposure to disasters.

Strengthening disaster preventive mechanisms

Disaster relief is essential, but relief alone cannot prevent recurring tragedies. Governments must prepare for emergencies while simultaneously strengthening preventive mechanisms. Before permitting new construction in vulnerable mountain areas, a technical assessment should certify that the proposed site is not disaster-prone.

Mountains have limits

In the hills, every slope has a history and every stream has a natural path. Ignoring these realities in the name of development can prove costly. The monsoon is not merely a season of rain; it is a reminder that the mountains have limits. Development must respect those limits if homes built with a lifetime's savings are not to become casualties of the next downpour.

The writer is an environmentalist based at Sihunta in Chamba district

---

Mandi Mayor apprised of issues facing journalists

Mayor Suman Thakur with members of the Press Club in Mandi.

TRIBUNE NEWS SERVICE

MANDI, AUGUST 13

The Mayor of the Municipal Corporation of Mandi, Suman Thakur, visited the Press Club on Tuesday and interacted with journalists to understand their concerns and problems. She also inspected the Press Club building and assured the media fraternity of all possible assistance from the Municipal Corporation.

The Mayor was accorded a warm welcome by the office-bearers and members of the Press Club. During the interaction, Press Club president Subhash Thakur and other journalists apprised her of various issues concerning the club. They particularly sought financial and other necessary support for completing the ongoing construction work in the building.

The Mayor said that journalists were an important pillar of democracy and played a vital role in highlighting public issues and bringing them to the notice of the government and the local administration. She added that a strong and responsible media was essential for strengthening democracy and assured continued cooperation in resolving issues concerning journalists.

Study of folk & classical traditions a must to understand state's cultural identity: Expert

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, AUGUST 13

Dean of Studies Prof BK Shivram during a seminar at the Himachal Pradesh University in Shimla.

Prof BK Shivram, Dean of Studies, Himachal Pradesh University (HPU), has said that to understand Himachal Pradesh's historical and cultural identity, it was necessary to include the memories, traditions and cultural experiences preserved in folk life within the scope of study, rather than limiting it solely to written sources. He addressed a one-day national seminar on "History of Himachal Pradesh: A Dialogue between Folk and Classical Sources", organised by the university in collaboration with the Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi, and its Department of Evening Studies in Shimla.

The aim of the seminar was to understand the state's history through an integrated study of folk traditions, oral history, folk memories and classical sources and develop a comprehensive and holistic view of Himachal Pradesh's history by establishing a meaningful academic dialogue between folk and classical sources. More than 150 participants, including academicians, researchers, students and scholars of history and culture from various universities and higher education institutions from across the country, participated in the seminar.

Prof Shivram highlighted the importance of folk traditions and classical sources in the study of Himachal Pradesh's history and cultural heritage.

He also stressed the interrelationship between Hindi literature and folk life and the need for their integrated study. Keynote speakers and invited scholars presented valuable insights into various aspects of Himachal Pradesh's history and culture. They emphasised the need to view the state's history from a multidimensional perspective and establish a dialogue between folk traditions and classical sources. Research papers were presented during various academic sessions on the state's history, culture, folk traditions, folk deity traditions, oral history, tribal society, cultural heritage and classical sources.

Judge plants saplings at Kullu park

KULLU, AUGUST 13

District and Sessions Judge Prakash Chand Rana, who is also the Chairman of the District Legal Services Authority (DLSA), inaugurated a tree plantation and awareness campaign at the Nature Park at Mohal village in Kullu district on Wednesday.

The District and Sessions Judge performed puja to launch the drive. He said that the primary objective of the campaign was to raise public awareness about environmental conservation.

Students, NSS cadets, Eco Clubs, self-help groups, Mahila Mandals, panchayat representatives and other stakeholders participated in the event. Participants pledged to take regular care of the plants.

Chief Judicial Magistrate Manisha Goyal, DLSA secretary Vishal Tiwari, Judicial Magistrates Neeraj Singh, Chunauti Sagroli and Amit Mandyal, Conservator Sandeep Sharma, Kullu Divisional Forest Officer Angel Chauhan and other forest officials and staff were present on the occasion. — OC

Students during an exhibition at Auckland House School, Shimla.

Auckland House pupils showcase creative skills

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, AUGUST 13

Young students of Auckland House School showcased their creativity, imagination and learning through various colourful and interesting displays during an exhibition organised by the Lower Primary Department for students from Nursery to Form II. Shimla Public School Principal Sarla Kant was the chief guest on the occasion. She appreciated the efforts of the students and teachers and encouraged the young learners to continue exploring and learning with enthusiasm.

The exhibition provided students with a wonderful opportunity to present their work and share their learning experiences. The event was appreciated by all those present and reflected the hard work and dedication of the students and teachers.

SJVN achieves commercial operation date of Bihar solar project

SHIMLA, AUGUST 13

The SJVN has achieved commercial operation date (COD) of the 75 MW Jamui Solar Power Project in Bihar. The project has been executed through wholly owned subsidiary, SJVN Green Energy Limited (SGEL), marking another milestone in the company's renewable energy journey.

Ajay Sharma, Director (Personnel), SJVN, said that the 75 MW project was expected to generate around 90 million units of electricity during its first year of operation and around 3,522 million units cumulatively over a period of 25 years. The project has been developed over 300 acres of outright-purchased land in Jamui district of Bihar at an estimated project cost of Rs 342 crore.

Parthajit De, Director (Finance), SJVN, said that the tariff of the power generated from the project had been fixed at Rs 2.96 per unit. The competitive tariff would facilitate the availability of affordable and clean green power to consumers. The electricity generated from the project would be supplied to Bihar. — TNS

अमर उजाला
Shimla
14-08-2026

न्यूज डायरी

महिलाओं ने सीखा फूलदान बनाना

शिमला। राजधानी के चमुरी क्षेत्र में सोमवार को महिलाओं के लिए आयोजित 20 दिवसीय पाइन नीडल प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में 45 महिलाओं को पाइन नीडल (चीड़ की पत्तियों) से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक सुनीता शर्मा की देखरेख में 50 तरह के उत्पाद तैयार किए। इनमें रक्षाबंधन के लिए राखियां विशेष रूप से शामिल थीं। महिलाओं ने टोकरियां, फूलदान और सजावटी सामान बनाना भी सीखा। शिमला की हेल्पिंग हैंड वेलफेयर एंड एजुकेशन संस्था ने [illegible] के सहयोग से यह प्रशिक्षण हुआ। समापन अवसर पर हेल्पिंग हैंड संस्था की निदेशक [illegible] और [illegible] मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान संस्था की मास्टर ट्रेनर सुनीता शर्मा और सुनीता [illegible] भी उपस्थित थीं। संस्थापक कपिल कुमार ने कहा कि इस पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्राप्त होंगे। संवाद

जूट के उत्पाद बनाने का दिया प्रशिक्षण

शिमला। यूको आरसेटी शिमला के मशोबरा स्थित केंद्र में छह दिवसीय जूट उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को समापन हो गया। कार्यक्रम में 28 महिलाओं ने हिस्सा लिया जिन्हें जूट से विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें किन्नौर से एक और शिमला के विभिन्न विकास खंडों से 28 महिलाएं शामिल थीं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जूट के बैग, पर्स और लंच किट जैसे उपयोगी उत्पाद बनाने का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। महिलाओं ने इन उत्पादों को बनाने की बारीकियां सीखीं। यूको आरसेटी शिमला की निदेशक शालिनी कौशल ने समापन समारोह में महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को आत्मनिर्भर बनने और स्वरोजगार के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षक कांता देवी ने पूरे छह दिनों तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया। संवाद

श्रीकृष्ण लीला में सुनाया पूतना प्रसंग

शिमला। राजधानी के गंज बाजार स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में आयोजित श्रीकृष्ण लीला कथा के तीसरे दिन सोमवार को पूतना वध प्रसंग सुनाया गया। इस अवसर पर कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस दौरान कथा वाचक आचार्य [illegible] ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने बाल अवस्था में ही असुरों और दुष्ट शक्तियों का नाश कर धर्म की स्थापना का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कंस ने भगवान श्रीकृष्ण का वध करने के उद्देश्य से राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा था। पूतना सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची और माता यशोदा सहित गोकुलवासियों को भ्रमित किया। उसने अपने स्तनों पर विष लगाकर बालक श्रीकृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया। भगवान श्रीकृष्ण ने उसकी माया पहचान ली और दूध के साथ उसके प्राण भी हर लिए। सनातन धर्म सभा के प्रधान मंत्री सुमन पाल दत्ता ने बताया कि यह कथा रोजाना शाम 4 से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। संवाद

वंशिता के सिर सजा मिस आरकेएमवी का ताज, स्पर्धा में अक्षरा रहीं प्रथम रनरअप

कॉलेज की फ्रेशर पार्टी एलारा में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जमाया रंग, ओनस रहीं द्वितीय रनरअप

संवाद न्यूज एजेंसी


आओ झूमें गाएं

आरकेएमवी शिमला में आयोजित फ्रेशर पार्टी में डांस की प्रस्तुति देतीं छात्राएं। संवाद

शिमला। राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में नवागंतुक छात्राओं के स्वागत के लिए सोमवार को फ्रेशर पार्टी एलारा का आयोजन किया गया। महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वंशिता ने मिस फ्रेशर आरकेएमवी 2026 का खिताब जीता। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेशकर खूब रंग जमाया।

वहीं कार्यक्रम में अक्षरा प्रथम रनरअप और ओनस द्वितीय रनरअप रहीं। दिपाली को मिस कॉन्फिडेंट और छवि को मिस टैलेंटेड चुना गया। कार्यक्रम महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अनुरीता सक्सेना की अध्यक्षता में हुआ।

मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की निदेशक रूपाली ठाकुर रहीं। उन्होंने कहा कि मिस फ्रेशर जैसी प्रतियोगिताएं केवल सुंदरता का मंच नहीं हैं, बल्कि छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर भी देती हैं। उन्होंने छात्राओं से महाविद्यालय की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का आह्वान किया।

साथ ही, नशे से दूर रहने की अपील की। मिस फ्रेशर प्रतियोगिता चार चरणों में हुई। इनमें मिस्टिरियस स्टार, ट्रेडिशनल [illegible], प्रतिभा प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर चरण शामिल रहे। सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न चरणों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल में प्रो. शिवानी सूद, डॉ. निशा वर्मा और डॉ. हेमलता शामिल रहीं। कार्यक्रम में कश्मीरी, दक्षिण भारतीय, बॉलीवुड, लावणी और उड़िया नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। पंजाबी और हरियाणवी प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। देशभक्ति गीतों पर दी गई प्रस्तुतियों को भी खूब सराहना मिली। कार्यक्रम में अभिभावक शिक्षक संघ के पदाधिकारी, उप प्राचार्य डॉ. सुभाष कश्यप सहित शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहीं। प्राचार्य ने सभी विजेता छात्राओं को बधाई दी।

कार्यक्रम में दिपाली को मिस कॉन्फिडेंट चुना गया


आरकेएमवी में आयोजित फ्रेशर पार्टी की विजेता छात्राएं। संवाद

मेरी आवाज सुनो...

रास्ते के बीच लगे खंभे से परेशानी

संजौली के [illegible] क्षेत्र में [illegible] इलाके के आम रास्ते के बीचोंबीच बिजली का खंभा लगा दिया गया है। इसकी वजह से यहां से आवाजाही करने वाले लोगों को बड़े सामान को लाने-ले जाने में परेशानी होती है। ऐसे में विभाग को इस खंभे को उचित स्थान पर स्थानांतरित करना चाहिए।
-सुभाष कुमार, निवासी संजौली, शिमला

सड़क किनारे रख दिया खंभा

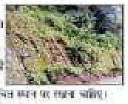

खलीनी में सड़क किनारे बिजली का खराब खंभा रखा हुआ है। यह खंभा लंबे समय से इसी जगह पर पड़ा है। अब इसमें जंग लग गई है और लोहा भी सड़ रहा है। विभाग को ऐसे खंभों को उचित स्थान पर रखना चाहिए।
-अरविंद, खलीनी निवासी, शिमला

आप भी भेज सकते हैं अपने क्षेत्र की किसी ऐसी समस्या की जानकारी जो लोकहित से जुड़ी हो और जिसकी सुनवाई न हो रही हो।

ईमेल आईडी
अब: cityincharge@smi.amarujala.com
व्हाट्सएप करें 9193786730

ओपीडी

सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, चमियाना

- **न्यूरोलॉजी** : डॉ. सुधीर शर्मा (कमरा संख्या 121,122)
- **एंडोक्राइनोलॉजी** : डॉ. मनीष ठाकुर (कमरा संख्या 102)
- **गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी** : डॉ. अशोक (कमरा संख्या 103)
- **कार्डियोलॉजी** : डॉ. अरविंद कंडोरिया, डॉ. विनय भारद्वाज (कमरा संख्या 118,119)
- **नेफ्रोलॉजी** : डॉ. विशाल चड्ढा (कमरा संख्या 113,114)

आपातकालीन नंबर 0177-[illegible]

आईजीएमसी शिमला

- **नेत्र रोग विभाग** : डॉ. विना गुप्ता, डॉ. विनोद कश्यप, डॉ. तरुण, डॉ. मोहित (न्यू ओपीडी ब्लॉक, 11वीं मंजिल)
- **आर्थोपेडिक्स विभाग** : डॉ. राजेश सूद, डॉ. मनीष शर्मा (न्यू ओपीडी ब्लॉक, 8वीं मंजिल)
- **मेडिसिन विभाग** : डॉ. जितेंद्र मोक्टा, डॉ. आरती नेगी, डॉ. नीरज शर्मा (न्यू ओपीडी ब्लॉक, 7वीं मंजिल)
- **सर्जरी विभाग** : डॉ. अशोक कौशल, डॉ. राजेश शर्मा, डॉ. अनुकांत शर्मा, डॉ. मोहित चौहान (न्यू ओपीडी ब्लॉक, छठी मंजिल)

आपातकालीन नंबर [illegible]

डीडीयू अस्पताल

- **मेडिसिन ओपीडी** : डॉ. मोनिका, डॉ. कपिल चौहान (कमरा नंबर 12)
- **ऑर्थोपेडिक्स** : डॉ. अभिनव शर्मा (कमरा नंबर 103)

नाक कान गला विभाग: डॉ. अंकुर [illegible] (कमरा नंबर 105)

आपातकालीन नंबर 0177- [illegible]

सीटू के बैनर तले तहबाजारियों का डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन

बोले, घर और बच्चों का पालन-पोषण करना हो रहा मुश्किल, तहबाजारियों पर की जा रही कार्रवाई का जताया विरोध

अमर उजाला ब्यूरो


डीसी कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन करते तहबाजारी। अमर उजाला

शिमला। नगर निगम की ओर से तहबाजारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का रेहड़ी-फड़ी यूनियन ने फिर विरोध जताया। इसी लेकर सोमवार को सीटू के बैनर तले यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें उठाईं।

यूनियन ने जिला प्रशासन और नगर निगम को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो 17 अगस्त को आंदोलन किया जाएगा। यूनियन सदस्यों ने कहा कि नगर निगम पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई कर रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई शुरू होने के बाद से दिहाड़ी तक नहीं लग पा रही है। इससे घर चलाना और बच्चों का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और यूनियन अध्यक्ष दर्शन लाल ने कहा कि शिमला शहर में वर्षों से रेहड़ी-फड़ी और तहबाजारी का काम कर हजारों परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन रेहड़ी-फड़ी वालों की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के बजाय उन्हें लगातार परेशान कर रहा है।

उन्होंने मांग की कि तहबाजारियों को उचित स्थान उपलब्ध करवाने, लाइसेंस और वेंडिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

फीस वृद्धि, हॉस्टल शुल्क का एसएफआई ने जताया विरोध

अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जताई नाराजगी

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्तियों, फीस वृद्धि, छात्रावास (हॉस्टल) शुल्क और नए कक्षा समय को लेकर एसएफआई ने प्रशासन के समक्ष विरोध जताया। संगठन ने कुलपति, डीएसडब्ल्यू, कुलसचिव, वित्त अधिकारी समेत अधिकारियों के साथ बैठक कर मांगें रखीं। प्रशासन ने फीस संबंधी मुद्दे पर गठित समिति की बैठक में चर्चा का आश्वासन दिया।

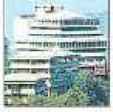

एसएफआई कैंपस सचिव मुकेश राणा ने कहा कि छात्रों के मुद्दों को समितियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रशासन चार दिन में मांगों पर ठोस निर्णय ले। ऐसा नहीं होने पर 17 अगस्त को विश्वविद्यालय के सभी प्रवेशद्वार बंद कर आंदोलन किया जाएगा।

कुलपति के विश्वविद्यालय पहुंचने का भी विरोध किया जाएगा। एसएफआई इकाई अध्यक्ष आरती चौहान और सचिव मुकेश राणा ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। एसएफआई ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की 186 नियुक्तियों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आपत्तियों के बावजूद जांच नहीं करवाई है।

186 नियुक्तियों पर जताई आपत्तियों की करवाएं जांच

संगठन ने दावा किया कि आरटीआई के जरिये 13 हजार पन्नों के दस्तावेज जुटाए थे। एसएफआई ने नियुक्तियों की निष्पक्ष न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। संगठन ने कहा कि जांच पूरी होने तक नया फीस ढांचा लागू नहीं होना चाहिए।

लगातार फीस बढ़ोतरी से छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। लड़कों के छात्रावास शुल्क में करीब 80 प्रतिशत बढ़ोतरी का भी विरोध किया गया। एसएफआई ने सुबह 10 से शाम पांच बजे तक के नए कक्षा समय पर भी आपत्ति जताई। संगठन के अनुसार पूरे दिन कक्षाओं में रहने से छात्रों को पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

एबीवीपी की क्रमिक भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में फीस वृद्धि वापस लेने और छात्र मांग पत्र पूरा करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क्रमिक भूख हड़ताल सोमवार को 11वें दिन भी जारी रही।

कुलपति कार्यालय के बाहर चल रहे अनशन में 11वें दिन इकाई उपाध्यक्ष [illegible] और इकाई कार्यकर्ता [illegible] अगले 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। इससे पहले 10वें दिन विधि विभाग इकाई [illegible] और [illegible] ने 24 घंटे का अनशन पूरा किया। एबीवीपी के इकाई मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि भारी फीस वृद्धि के कारण आम परिवारों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने फीस वृद्धि तत्काल वापस लेने की मांग की। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्र हितों की अनदेखी कर रहा है। सुनील शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। संवाद

मला के बाहर प्रदर्शन करते तहबाजारी। अमर उजाला

, जो उचित
कार्रवाई शुरू

होने के बाद से दिहाड़ी तक नहीं लग पा रही है। इससे घर चलाना और बच्चों का

करने के बजाय उन्हें लगातार परेशान कर रहा है।

उन्होंने मांग की कि तहबाजारियों को उचित स्थान उपलब्ध करवाने, लाइसेंस और वेंडिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

आपातकालीन नंबर 0177-26

डीडीयू अस्पताल

- मेडिसिन ओपीडी : डॉ. कौशिक, डॉ. कपिल चौहान (कमरा नंबर:12)
- ऑर्थोपेडिक्स : डॉ. अभिनय शर्मा (कमरा नंबर: 103)

बाल रोग विभाग: डॉ. अंकुर धर्माणी, (कमरा नंबर:105)

आपातकालीन नंबर 0177- 2812565 , 2658941

का
रोध

राजगी
जताई
एं जांच

नियुक्तियों पर
परीक्षक की
जांच नहीं

के आरटीआई
जार पन्नों के
जुटाए थे।
नियुक्तियों की
जांच और
वाई की मांग
कहा कि जांच
या फीस ढांचा
चाहिए।
ी से छात्रों पर
। लड़कों के
80 प्रतिशत
किया गया।
शाम पांच बजे
पर भी आपत्ति
सार पूरे दिन
को पुस्तकालय
विधियों के लिए
।

उजाला

अमर उजाला की
त या समय से
ही है तो कृपया
र या ई-मेल के
हमें बताएं। हम
उसे समय से
निश्चित करेंगे।

बार शुरू करवाने
ए संपर्क करें

121 1166
से शाम 6 बजे तक

ion@amarujala.com

यूको बैंक UCO BANK

भारत सरकार का उपक्रम (A Govt. of India Undertaking)

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 31.08.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 5.00 बजे के मध्य (10 मिनट के असीमित स्व विस्तार सहित) ईएमडी बोली देने से पहले नीलामी समय के समाप्त होने के पहले जमा की जाएगी और संपत्ति आईडी के साथ लिंक्ड/मैप्ड की जाएगी।

चूंकि, यूको बैंक, सम्बन्धित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रस्तावित (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत **"जैसे है जहाँ है आधार एवं "जैसे है जो है आधार" एवं "जो भी है जहां है आधार" एवं "बगैर रिकोर्स आधार"** पर उसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना की निम्न सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया था। जिसकी बिक्री वैबसाईट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।"

शाखा/ऋणकर्ता(ओं)/ गारंटर(रों) का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि (प्रत्याभूत ऋण)	सांकेतिक/भौतिक कब्जा की तिथि संबंधित अधिकारियों का विवरण	25% जमा करने हेतु खाता सं. एवं आईएफएससी कोड	आरक्षित कीमत ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
शाखा कार्यालय : मेहली **ऋणकर्ता (1) करणजीत सिंह** पुत्र श्री तिलक राज निवासी कमला भवन, शिमला कालका हाईवे, सत्यम पैराडाईस होटल के नीचे, कच्ची घाटी शिमला, अर्बन (टी) तारा देवी, शिमला (हि.प्र.)-171010 **(2) श्रीमती मोनिका** देवी पत्नी श्री करणजीत सिंह निवासी कमला भवन, शिमला कालका हाईवे, सत्यम पैराडाईस होटल के नीचे, कच्ची घाटी शिमला, अर्बन (टी) तारा देवी, शिमला (हि.प्र.)-171010 **गारंटर (ओ) (1) श्री बलविन्दर कुमार सिंह** पुत्र श्री तिलक राज निवासी कमला भवन, शिमला कालका हाईवे, सत्यम पैराडाईस होटल के नीचे, कच्ची घाटी शिमला, अर्बन (टी) तारा देवी, शिमला (हि.प्र.)-171010	श्री करणजीत सिंह के नाम में मोहल संकट मोचन, तहसील शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला में स्थित खाता खतोनी सं. 59/82, खसरा सं. (पुराना) 1262/515/1/2 एवं (नया) 361/3 माप 0-01-50 हैक्टेयर्स में शामिल भूमि के हिस्से पर निर्मित तिमंजिला संरचना के 38.00 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्र वाला पहला तल (शिमला साईड की ओर) का आरसीसी फ्रेम की संरचना।	19.05.2021 Rs. 13,59,651.37 12.11.2021 से भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभार लागतें इत्यादि	08.02.2022/ भौतिक प्राधिकृत अधिकारी अरुण कुमार Mobile : 9927272648 शाखा प्रबंधक नवनीत कौर Mob. : 8427690037, E-mail : mehlis@ucobank.co.in	खाता संख्या 29841030080161 आईएफएससी कोड UCBA0002984 खाते का नाम: कोई ग्रहणाधिकार नहीं खाता	Rs. 12,50,000/- Rs. 1,25,000/- Rs. 25,000/-	31.08.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 05.00 बजे (10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)
शाखा कार्यालय : मेहली **ऋणकर्ता (1) ईश्वर सिंह** पुत्र स्व. श्री शंकरू, निवासी कृष्ण दास कानूनगो भवन, विकास नगर, शिमला जिला शिमला (हि.प्र.) **(2) सुनीता** पत्नी श्री ईश्वर सिंह निवासी कृष्ण दास कानूनगो भवन, विकास नगर, शिमला जिला शिमला हिमाचल प्रदेश **गारंटर (ओ) (1) श्री भरत भूषण** पुत्र श्री सुशील कुमार निवासी भारत भवन, विकास नगर, शिमला हिमाचल प्रदेश **(2) श्री धर्म चंद** पुत्र श्री राम चंद निवासी गांव एवं पीओ दुर्गापुर, तहसील व जिला शिमला (हि.प्र.)	मोहल विकास नगर तहसील शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला हि.प्र. में स्थित 188.60 वर्ग मी. माप का खाता खतौनी नं. 61 मिन/232 मिन खसरा नं. 1857/5 में शामिल भूमि के भाग पर निर्मित एक मंजिला भवन के भूतल के भाग के रूप में 41.65 वर्ग मीटर क्षेत्र वाला सेमी फिनिश्ड फ्लैट सं. 1 (बीसीएस/बाएं हाथ की ओर) जिसमे शामिल हैं- दो बेड रूम, एक किचन, एक शौचालय	15.01.2019 Rs. 25,91,654.71 30.10.2018 से भावी ब्याज एवं आकस्मिक प्रभार लागतें इत्यादि	14.05.2019/ भौतिक प्राधिकृत अधिकारी अरुण कुमार Mobile : 9927272648 शाखा प्रबंधक नवनीत कौर Mob. : 8427690037, E-mail : mehlis@ucobank.co.in	खाता संख्या 29841030080161 आईएफएससी UCBA0002984 खाते का नाम यूको बैंक मेहली, कोई ग्रहणाधिकार नहीं खाता	Rs. 13,40,000/- Rs. 1,34,000/- Rs. 25,000/-	31.08.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 05.00 बजे (10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)

ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें : (1) बोली निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाईन जमा कराई जाएंगी। **ऑनलाईन** बोलियां **https://baanknet.com** पर जाने द्वारा जमा कराई जा सकती है। (2) बोलियां, बोली प्रपत्र में संलग्न अनुसार पहचान दस्तावेजों की प्रति के साथ जमा कराई जाएंगी। मूल पहचान दस्तावेज को मांगे जाने पर दिखाना होगा। (3) ईएमडी हेतु दी जानी चाहिए अथवा ईएमडी एकमात्र अपसेट मूल्य आरक्षित कीमत का 10 प्रतिशत प्रत्येक खाते के प्रति निर्दिष्ट खाते विवरण हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर द्वारा ईएमडी हेतु दी जानी चाहिए अथवा ईएमडी एकमात्र बोलीदाता की स्थिति में बिंदु संख्या 6 में निर्दिष्ट वेबसाईट पर जाने द्वारा नीलामी प्रदाता के ई-वॉलेट में भी जमा कराई जा सकती हैं, कोट की गई बोली राशि आरक्षित कीमत से एक बोली अधिक होनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी एक अथवा अधिक बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अथवा नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (4) अचल संपतियों की बिक्री पर सफल बोलीदाता को बिक्री संचालित कर रहे प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रत्येक खाते के प्रति निर्दिष्ट अनुसार बैंक खाते को आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के द्वारा बिक्री कीमत का पच्चीस प्रतिशत (25%) की जमा का तुरंत भुगतान करना होगा। अन्यथा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा एवं उसे पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा। (5) सफल बोलीदाता को उनके पक्ष में बिक्री सुनिश्चित होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर शेष बोली राशि जमा करानी होगी। अगर सफल बोलीदाता कथित अवधि के भीतर शेष बोली राशि जमा कराने में असफल होता है तब जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा संपति पुनः बेची जाएगी। (6) इच्छुक बोलीदाता जिसे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग, **बोली दस्तावेज जमा कराने, प्रशिक्षण/प्रदर्शन, ऑनलाईन अंतः बोली पर नियम शर्तों इत्यादि में सहायता चाहिए वह वेबसाईट https://baanknet.com पर जा सकते हैं। हैल्पलाईन नं. +91 82912 20220 हैल्पलाईन ई-मेल आईडी support.baanknet@psballiance.com. संपतियों संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी अथवा शाखा प्रबंधक को संपर्क कर सकते हैं।** जैसे कि प्राधिकृत अधिकारियों/शाखा प्रबंधकों का विवरण उपरोक्त प्रत्येक खाते के प्रति निर्दिष्ट है। बिक्री तब सुनिश्चित की जाएगी जब ऋणकर्ता सफल बोलीदाता को बिक्री सुनिश्चित पत्र जारी कर रहे प्राधिकृत अधिकारी के पास पहले अन्य खर्चों के साथ बैंक संविदात्मक बकाया राशि हेतु निविदित करेगा, ऐसी स्थिति में बैंक सफल बोलीदाता द्वारा दी गई संपूर्ण राशि को बिना ब्याज के साथ वापस दे देगा। (7) सरकार/स्थानीय निकाय को देय सांविधिक बकाया राशि/देनदारी इत्यादि अगर कोई है वह सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। सफल बोलीदाता को एक प्रतिशत का टीडीएस वहन करना होगा अगर संपति मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक होता है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नीलामी में भाग लेने से पहले सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** पर जाएं अथवा संबंधित शाखा प्रबंधक को संपर्क करें। सभी प्रत्याशित बोलीदाता को वेबसाईट पर दी गई सभी शर्तों को पढ़ना होगा एवं समझना होगा तथा सभी शर्तों का पालन भी करना होगा। नीलामी बिक्री प्रतिभूति ऋणदाता बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। संपतियों के किसी विशेष विवरण में अतिरिक्त पूछताछ, दस्तावेजों एवं/बिक्री की नियम एवं शर्तों के प्रमाणन में अगर कोई अतिरिक्त पूछताछ है तो वह कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसार संबंधित शाखा प्रबंधकों से प्राप्त की जा सकती है। (8) संपत्ति को 'जैसे है जहां है' एवं 'जैसे है जो है' के आधार पर बेचा जाएगा तथा इच्छुक बोलीदाता को बैंक शुल्कों के अलावा किसी भी प्राधिकरण के संपत्ति के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच कराएंगे तथा अपनी बोली जमा कराने से पहले संपत्ति के टाईटल, विस्तार, मात्रा, गुणवत्ता के विषय में स्वयं को संतुष्ट करेंगे। बिक्री हेतु रखी गई संपत्ति के संबंध में कोई भी दावा, चाहे जो हो स्वीकार, नहीं किया जाएगा। किसी भी विषय पर इत्यादि संपत्ति पर शुल्क, ऋणभार वह ऑनलाईन बोली जमा कराने के पश्चात् स्वीकार किया जाएगा।

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत सांविधिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

ऋणकर्ताओं/गारन्टरों को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वे बिक्री सुनिश्चित होने से पहले तिथि तक ब्याज एवं अनुषंगिक खर्चों के साथ उपरोत निर्दिष्ट अनुसार राशि का भुगतान कर दें अन्यथा संपतियां पुनः नीलामी/बेची जाएंगी तथा शेष बकाया राशि अगर कोई है ब्याज एवं लागत सहित वसूली जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 13.08.2025